Borrower Awareness - RBI Ombudsman Scheme-Hindi



आरबीआई विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा



30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंकों/ एनबीएफ़सी/क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों/पेमेन्ट प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर, आप उनकी शिकायत आरबीआई लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं




ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ - 160017 पर शिकायत दर्ज़ करें



अपवर्जन सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर, अन्य सेवाओं में किमयों से संबंधित सभी शिकायतें शामिल हैं



अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (https://cms.rbi.org.in) पर देखें



अधिक जानकारी के लिए 14448 पर कॉल करें.

समयः कार्यदिवसों पर, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़करः

- हिंदी और अंग्रेजी के लिए सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
- 10 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) के लिए स्बह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक





जनहित में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

अधिक जानकारी के लिए, https://rbikehtahai.rbi.org.in/ पर जाएं फ़ीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें